**कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,**
**इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

**पत्रांक–2118 / PF/UK/ ROAD / 14233/ 2015 :देहरादूनःदिनांकः 10 मार्च, 2017**

सेवा में,

अपर सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4,
उत्तराखण्ड शासन।

**विषयः– जनपद–नैनीताल में बरेली–अल्मोडा मोटर मार्ग से सिरसा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.9212 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन ।**

**संदर्भः– वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या 1154 / X–4–15–1(598) / 2015 दि0 07–11–2015**

महोदय,

कृपया वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4,उत्तराखण्ड शासन के उपर्युक्त विषयक पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे प्रश्नगत मोटर मार्ग में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है, जो निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है :–

**शर्त संख्या–1** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पडें स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं उसके दस वर्षों के रख–रखाव हेतु धनराशि रू0 5,63,679.00 (रू0 पांच लाख तिरेसठ हजार छः सौ उन्नासी) मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है।

**शर्त संख्या–2** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 6,05,228.00 (छः लाख पांच हजार दो सौ अठाईस) मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है।

**शर्त संख्या–3** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित एन0पी0वी0 की बचनबद्धता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–1)**

**शर्त संख्या–4 व 5** के अनुपालन में उपरोक्तानुसार कुल देय धनराशि ऑन लाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा करायी जा चुकी है। **(संलग्नक–2)**

**शर्त संख्या**–6 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भू–वैज्ञानिक के सुझाओं का कड़ाई से अनुपालन किये जाने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–3)**

**शर्त संख्या–7** के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी–जनपद नैनीताल द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–4)**

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन भूमि प्रत्यावर्तन के औपचारिक आदेश निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

**संलग्न–यथोपरि।**

**भवदीय,**

**(विनोद कुमार)**
**अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी**

**संख्या– / PF/UK/ ROAD/14233/ 2015 दिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–जिलाधिकारी, जनपद–नैनीताल।

2–प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित की गई है। अतः भारत सरकार के पत्र संख्या–11–306 / 2014–एफ0सी0 दिनांक 08–08–2014 में दिये गये निर्देशों के अनुसार उक्त मोटर मार्ग के संरेखण में आने वाले वृक्षों के छपान / कटान करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

3–अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0खण्ड,लो0नि0वि0, काठगोदाम, (नैनीताल)।

**(विनोद कुमार)**
**अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी**

IJ

# कार्यालय–प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल ।

E-mail:dfo_nainital_uta@yahoo.com Telefax.05942-236790

पत्रांक 2263/13-2-(1)/दिनांक, नैनीताल, फरवरी, 18 - 2017 ।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोड़ल अधिकारी,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

विषयः– जनपद नैनीताल में बरेली अल्मोड़ा मोटर मार्ग से सिरसा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.9212 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य (पी0एम0जी0एस0वाई0) को प्रत्यावर्तन करने के सम्बंध में ।

संदर्भः– आपकी पत्र सं0 1672/FP/UK/ROAD/14233/2015 दिनांक 04.12.2015. एंव अधिशासी अभियंता पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लो0नि0वि0 काठगोदाम (नैनीताल) का पत्रांक 141/3एम0जी0 दिनांक 03.02.2017.

महोदय,

अधिशासी अभियंता काठगोदाम द्वारा अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा सैद्धातिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का निम्न प्रकार अनुपालन कर लिया गया है :–

1:– शर्त सं0–1– प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो के रखरखाव हेतु रू0 563679.00 जमा कर दिया गया है । (Transaction acknowledgement की प्रति संलग्न है)

2:– शर्त सं0–2– शुद्ध वर्तमान मूल्य की निर्धारित राशि रू0 605228.00 मात्र जमा कर दिया गया है ।

3:– शर्त सं0–3– बढ़ी हुई एन0पी0वी0 की राशि जमा करने हेतु वचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न (संलग्नक–1) कर प्रेषित किया जा रहा है ।

4:– शर्त सं0–4–एंव 5 पत्र के निर्देशानुसार सभी धनराशि प्रतिपूर्ति पौधारोपण, निधि प्रबंधन तथा योजना प्रधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0 एस0बी0– A/C No 0371001025229 कारपोरेशन बैंक, लोधी शाखा, नई दिल्ली – आरियण्टल बैंक ऑफ कामर्स, रेसकोर्स के माध्यम से RTGS द्वारा जमा कर दिया गया है । Transaction reference number-ORBCR52016092700090144 dt. 27-09-2016. जमा कराये गये धनराशि के साक्ष्य के रूप में प्रमाण पत्र संलग्न (संलग्नक–2) प्रेषित किया जा रहा है ।

5:– शर्त सं0–6– जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एंव भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कढ़ाई से अनुपालन किये जाने के सम्बंध में प्रमाण पत्र संलग्न (संलग्नक–3) कर प्रेषित है ।

6:– शर्त सं0–7– वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख संलग्न (संलग्नक–4) कर प्रेषित है ।

7:– शर्त सं0–8– निर्धारित शर्तो का अनुपालन न किये जाने पर राज्य सरकार, पर्यटन एंव वन विभाग स्वीकृति को निरस्त कर सकता है ।

8:– बिन्दु सं0–10– मलवा निस्तारण नाप भूमि में किया जाना है ।

संलग्न – उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल ।

पत्रांक2263/ उक्तदिनांकित ।

प्रतिलिपि :– वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल को उपरोक्त विषयक कम में मय संलग्नको के सूचनार्थ प्रेषित ।

<u>संलग्न – उपरोक्तानुसार</u> ।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल ।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लो0नि0वि0 काठगोदाम (नैनीताल) को उनकी पत्र सं0 141/3एम0जी0 दिनांक 03.02.2017. के कम में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल ।

काठगोदाम (नैनीताल)।

पत्रांकः– /3 एम0जी0 दिनांक : .02.2017

प्रतिलिपिः–सहायक अभियन्ता(प्रथम), पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0 काठगोदाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई खण्ड,लो0नि0वि0,
काठगोदाम (नैनीताल)।

# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
## पी0एम0जी0एस0वाई खण्ड, लो0 नि0 वि0
## काठगोदाम (नैनीताल)
**Phone /Fax No. 05946-266211,** **Email:- eepmgsypwdkath@gmail.com**


**पत्रांकः–141 /3 एम0जी0** **दिनांक 03 .02.2017**

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,
नैनीताल ।

विषय :– जनपद नैनीताल में बैरोली–अल्मोड़ा मोटर मार्ग से सिरसा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.9212 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विकास (पी0एम0जी0एस0वाई0) को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय देहरादून का पत्रांक– 1672 /FP/UK/ROAD/14233/2015 दिनांक 04.12.2015 एवं आपका पत्रांक 2294 / 13–देवालीधार दिनांक 16.12.2015

महोदय,

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 1154/X-4-15-1(598)/2015 दिनांक 07-11-2015 द्वारा विषयक मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण पर कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रादन की गयी है। पत्र में अधिरोपित शर्तो एवं सन्दर्भित पत्रो के अनुपालन में बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है :–

1. शर्त संख्या–1 प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो के रखरखाव हेतु रु0 563679.00 जमा कर दिया गया है। (Transaction Acknowledgement की प्रति संलग्न)
2. शर्त संख्या– 2 शुद्व वर्तमान मूल्य की निर्धारित राशि रु0 605228.00 मात्र जमा कर दिया गया है।
3. शर्त संख्या–3 बढ़ी हुई एन0पी0वी0 की राशि जमा कराने हेतु वचनवद्वता का प्रमाण पत्र संलग्न (संलग्नक –1) कर प्रेषित किया जा रहा है।
4. शर्त संख्या–4 एवं 5 पत्र के निर्देशानुसार सभी धनराशि प्रतिपूर्ति पौधारोपण, निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या एस0बी0– A/C No. 0371001025229 कारपोरेशन बैंक, लोधी शाखा नई दिल्ली– ओरियण्टल बैंक ऑफ कामर्स रेसकोर्स के माध्यम से RTGS द्वारा जमा कर दिया गया है। Transaction Reference Number- ORBCR52016092700090144 Dt. 27-09-2016 जमा कराये गये धनराशि के साक्ष्य के रुप में प्रमाण पत्र संलग्न (संलग्नक–2) कर प्रेषित किया जा रहा है।
5. शर्त संख्या–6 जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र संलग्न (संलग्नक–3) कर प्रेषित है।
6. शर्त संख्या–7 वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख संलग्न (संलग्नक–4) कर प्रेषित है।
7. शर्त संख्या–8 निर्धारित शर्तो का अनुपालन न किये जाने पर राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग स्वीकृति को निरस्त कर सकता है।
8. बिन्दु संख्या 10:– मलवा निस्तारण नापभूमि में किया जाना है।

अतः विषयक मोटर मार्ग के वनभूमि हस्तान्तरण की विधिवत स्वीकृति निर्गत कराने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

**संलग्नक :– यथोपरि।**

3/2/17
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई खण्ड,लो0नि0वि0,
काठगोदाम (नैनीताल)।

**पत्रांकः– /3 एम0जी0** **दिनांक : .02.2017**

प्रतिलिपिः–सहायक अभियन्ता(प्रथम), पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0 काठगोदाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई खण्ड,लो0नि0वि0,
काठगोदाम (नैनीताल)।

**rediffmail**

Mailbox of eepmgsykathgodam

## Subject: Email Alert From System Administrator of Online Submission and Monitoring of Forests Clearances Proposal(OSMFCP) portal

From: <monitoring-fc@nic.in> on Tue, 31 Jan 2017 16:20:03

To: <eepmgsykathgodam@rediffmail.com>

Cc: <monitoring-fc@nic.in>

---

This is to acknowledge that Mutation details submitted by User Agency have been verified by Nodal Officer and found to be correct. Detail of Proposal are given below.

| | |
|---|---|
| **1. Proposal No.** | : FP/UK/ROAD/14233/2015 |
| **2. Proposal Name** | : construction of Bariely Almora motor road to Sirsa under PMGSY |
| **3. Category of the Proposal** | : Road |
| **4. Date of Submission** | : 30/07/2015 |
| **5. Name of the Applicant with Contact Details** | |
| **Name** | : jeewan |
| **Mobile No.** | : 9411318463 |
| **State** | : Uttarakhand |
| **District** | : Nainital |
| **Pincode** | : 263126 |
| **6. Area Applied (ha.)** | : 0.9212 |

User Agency is requested to submit the Compliance Details for further processing.

(System Administrator)

*** This is a system generated email, please do not reply. ***

(7)

संलग्नक-1



प्रारुप–51

परियोजना विवरण :– जनपद नैनीताल मे प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बरेली–अल्मोड़ा मोटर मार्ग से सिरसा मोटर मार्ग का निर्माण। कि0मी0 1 से 1.75

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

| | | |
|---|---|---|
| कनिष्ठ / अपर सहायक अभियन्ता<br>पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड लो.नि.वि.<br>काठगोदाम | सहायक अभियन्ता<br>पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड लो.नि.वि.<br>काठगोदाम | अधिशासी अभियन्ता<br>पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड लो.नि.वि.<br>काठगोदाम |

संलग्नक-2
(4 पृष्ठ)

पंजीकृत

# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
## पी0एम0जी0एस0वाई खण्ड, लो0 नि0 वि0
## काठगोदाम (नैनीताल)

Phone /Fax No. 05946-266211, Email:- eepmgsypwdkath@gmail.com

पत्रांकः— 11 /3 एम0जी0 दिनांक : 7.01.2016

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
यू0आर0आर0डी0ए0,
देहरादून।

विषयः— जनपद—नैनीताल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत बरेली अल्मोड़ा मोटर मार्ग से सिरसा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.9212 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः— अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन देहरादून की पत्र संख्या 1154/X-4-15/1(598)/2015 दिनांक 07.11.2015 कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन सरंक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक /FP/UK/ROAD/14233/2015 देहरादून दिनांक 04 दिसम्बर, 2015 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल का पत्रांक 2294/13—देवलीधार दिनांक 16.12.2015

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों (प्रति संलग्न है) के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद—नैनीताल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत बरेली अल्मोड़ा मोटर मार्ग से सिरसा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.9212 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अनुपालन में प्राप्त हुई है।

प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल के पत्रांक 2094/13—देवलीधार दिनांक 16.12.2015 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में शर्त स0 1 में प्रस्तावित स्थल के आसपास यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो के रख रखाव हेतु रू0 5,63,679.00(पाँच लाख तिरेंसठ हजार छः सौ उन्नासी) मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा करने तथा शर्त नं0 2 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 6,05,228.00(छः लाख पाँच हजार दो सौ अठाईस) वन विभाग के पक्ष में जमा करने हेतु सूचित किया गया है। उक्त मदो से सम्बन्धित धनराशि को RTGS के माध्यम से पृथक—पृथक बैंक ड्राफ्ट Companstory Afforestation Fund Uttaranchal SB A/C no-337100101025229 कारपोरेशन बैंक लोधी शाखा, नई दिल्ली में जमा किया जाना है। RTGS हेतु कारपोरेशन बैंक का IFSC Code-CORP 0000371 MICR Code-110017007 एवं Branch Code- 000371 है।

अतः आपसे अनुरोध है कि वन विभाग द्वारा वांछित धनराशि को निर्धारित शीर्षक में जमा कराने का कष्ट करे, ताकि मार्ग के वनभूमि हस्तान्तरण की विधिवत स्वीकृति हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार 6 नं0

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई खण्ड,लो0नि0वि0
काठगोदाम (नैनीताल)

पत्रांकः— 11 /3 एम0जी0 दिनांक : 7.01.2016

प्रतिलिपिः— अपर सचिव वन उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः— अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निदेशालय देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः— वन संरक्षक दक्षिणी कुमाऊ वृत्त उत्तराखण्ड, नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः— जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः— प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः— उप प्रभागीय, वनाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल ।

पत्रांक 2294 /13– देवलीधार दिनांक 16-12-2015.

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता

पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0विभाग

काठगोदाम ।

विषयः– जनपद नैनीताला में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत बरेली अल्मोडा मोटर मार्ग से सिरसा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.9212 है0वन भूमि का भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन ।

संदर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक,एंव नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय देहरादून का पत्रॉक 1672/ FP/ UK /Road/14233/2015 दिनॉक 4–12–2015 । शासन की पत्र सं0 1154/X–4–15 / 1(598)/2015 दिनॉक 7–11–2015.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें । विषयगत प्रकरण में वन एंव पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन के सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो के अनुपालन में शर्त न0 1– के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल के आस पास/मार्ग के दोनो ओर रिक्त स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एंव 10वर्षो के रख रखाव हेतु धनराशि रूपये 5,63,679.00 (रू0 पॉच लाख तिरेसठ हजार छः सौ उन्नासी) मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी हैं ।

2– शर्त न0 2 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि रुपया 6,05,228.00(रू0 छः लाख पॉच हजार दो सौ अठाईसं )मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी हैं।

3–अपर प्रमुख वन संरक्षक,एंव नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय देहरादून ने उपरोक्त संदर्भित पत्र के बिन्दु न0 3 में उल्लेख किया गया हैं कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा ऑन लाईन अवगत कराया गया हैं कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों मे प्रदत्त सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो की अनुपालन आख्या/चालान ऑन लाईन अपलोट किया जायेगा । उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना हैं कि FC amendment Rules 2015 के बिन्दु–8 उपबिन्दु–क एंव ख में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी प्रयोक्ता एजेन्सी व सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तो के अनुसार एन0पी0वी0,क्षतिपूरक वृक्षारोपण,आस–पास/मोट मार्गके दोनों ओर रिक्त पडे स्थानों पर वृक्षारोपण आदि की धनराशि जमा करने हेतु डिमाण्ड नोट प्रेषि करेंगें, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा ऑन लाईन अपलोट करेंगें, जिसका नोडल अधिकारी कार्यालय द्व ऑन लाईन सत्यापन किया जायेगा । तत्पश्चात् प्रयोक्ता एजेन्सी ऑन लाईन चालान जन्रेट कर धनराशि के भुगतान की कार्यवाही करेंगें ।

4–शासन के शर्त न0 3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का बजनबद्धता का प्र पत्र प्रस्तुत किया जाना हैं कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0की दरों में बढोत्तरी होती हैं तो बढी हुई से अतिरिक्त धनराशि जमा करायी जायेगी ।

5–शर्त 4 एंव 5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त मदों में देय धनराशि को RTGS माध्यम से पृथक–2 बैक ड्राफ्ट **Companstory Afforestation Fund Uttaranchal SB 037100101025229** कारपोरेशन बैक लोधी शाखा नई दिल्ली में जमा कराने का कष्ट करें । **RTGS** कारपोरेशन बैंक का **IFSC Code- CORP 0000371 MICR Code - 110017007** एंव **Branch C** 000371 हैं । कारपोरेशन बैंक की लोधी रोड शाखा में जमा कराई गई धनराशिं की पुष्टि हेतु कार बैंक द्वारा जारी पुष्टि पत्र मय **UTR** न0 व दिनॉक सहित अपर प्रमुख वन संरक्षक,एंव नोडल अ भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय इन्दिरा नगर फौरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को उपलब्ध करने क करें ।

सहायक अभियन्ता प्रथम को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

6— शासन के शर्त न0 6 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यबल की संसतुतियों एंव भू–वैश्रानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना हैं ।

7— शासन के शर्त न0 7 के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अर्न्तगत आवश्यक अभिलेखों/निर्धारित प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना हैं ।

8— शासन के शर्त न0 8 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शार्त का अनुपालन नही होने अथवा असंतोष जनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार , पर्यावरण एंव वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित हैं ।

9— शासन के शर्त न09 के अनुपालन में अवगत कराना हैं कि कि उपरोक्त शर्तो के अनुपालन होने के पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति हेतु अपर प्रमुख वन संरक्षक,एंव नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय देहरादून द्वारा शासन को लिखा जायेगा ।

10— बिन्दु न0 10 में इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि मलुवा निस्तारण वन भूमि में प्रस्तावित नही हैं यदि हैं तो विवरण प्रस्तुत करें ।

अतः राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सैंद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित उक्त शर्तो की बिन्दु वार अनुपालन आख्या चार–2 प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित करें ताकि वॉछित सूचना अपर प्रमुख वन संरक्षक,एंव नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय देहरादूनको उपलब्ध कराई जा सके ।

भवदीया,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल।

पत्रॉक / उक्तदिनॉकित ।

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक,एंव नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय देहरादून को उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि वन संरक्षक दक्षिणी कुमाऊ वृत उत्तराखण्ड नैनीताल को उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी नैनीताल को उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल।

पत्रॉक / उक्तदिनॉकित ।

प्रतिलिपि उप प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल को मय शासनादेश II की प्रति के साथ सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि वन क्षेत्राधिकारी उत्तरी गौला को मय शासनादेश I की प्रति के साथ सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल।

6

diffmail

Mailbox of eepmgsykathgodam

पत्रावली सं. 3M47

# Subject: Email Alert of CL Payment

From: <monitoring-fc@nic.in> on Tue, 27 Sep 2016 11:44:04

To: <eepmgsykathgodam@rediffmail.com>

Cc: <monitoring-fc@nic.in>

## Transaction Acknowledgement

Thank you. Your payment has been successfully deposited with the following details. Please quote your transaction reference number for any queries relating to this request.

| | |
|---|---|
| Proposal No | FP/UK/ROAD/14233/2015 |
| Application No | ROAD142332015925 |
| Proposal Name | construction of Bariely Almora motor road to Sirsa under PMGSY |
| Category | Road |
| Submission Date | 30 Jul 2015 |
| Area Applied | 0.9212 |
| Transaction Status | Transaction Successful |
| Transaction Reference Number | CRBCR52016092700090144 |
| Transaction Date | 27 Sep 2016 |
| Payment Amount(in Rs.) | 1168907/- |
| Bank | Corporation Bank |
| Payment Mode | NEFT/RTGS (Challan) |

| Funds Demand Details | |
|---|---|
| Compensatory Afforestation | : Rs. 0/- |
| Additional Compensatory Afforestation | : Rs. 0/- |
| Penal Compensatory Afforestation | : Rs. 0/- |
| Catchment Area Treatment | : Rs. 0/- |
| Safety Zone | : Rs. 0/- |
| Additional Charges for protected area | : Rs. 0/- |
| Net Present Value | : Rs. 605228/- |
| Road Side Plantation & 10 Years Maintenance | : Rs. 563679/- |
| Total Amount | : Rs. 1168907/- |

*** This is a system generated email, please do not reply. ***

स्था० अ० प्रभारी / R.K उप कोषा

CO.

E.E.

27-Sep-16 11:46 AM

प्रारुप–34

परियोजना विवरण :– जनपद नैनीताल मे प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बरेली–अल्मोड़ा मोटर मार्ग से सिरसा मोटर मार्ग का निर्माण। कि0मी0 1 से 1.75

भू–वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

| | | |
|---|---|---|
| कनिष्ठ / अपर सहायक अभियन्ता<br>पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड लो.नि.वि.<br>काठगोदाम | सहायक अभियन्ता<br>पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड लो.नि.वि.<br>काठगोदाम | अधिशासी अभियन्ता<br>पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड लो.नि.वि.<br>काठगोदाम |

08



परियोजना विवरण :– जनपद नैनीताल मे प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बरेली–अल्मोड़ा मोटर मार्ग से सिरसा मोटर मार्ग का निर्माण। कि0मी0 1 से 1.75

पथ वृक्षारोपण की धनराशि वहन किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पथ वृक्षारोपण की धनराशि का सम्पूर्ण भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग को कर दिया जायेगा।

| | | |
|---|---|---|
| कनिष्ठ / अ0 सहा0 अभियन्ता<br>पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0,<br>काठगोदाम (नैनीताल) | सहायक अभियन्ता,<br>पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0,<br>काठगोदाम (नैनीताल) | अधिशासी अभियन्ता,<br>पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0,<br>काठगोदाम (नैनीताल) |

10

संलग्नक- 4

प्रारुप--30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-I

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector-Nainital

Dated-26/11/14

No---

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.9212 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Rural Devlopment Department Uttarakhand / Executive Engineer, PMGSY Division, P.W.D. Kathgodam (Nainital) (name of user agency) for Construction of **Bareilly-Almora M/Road to Sirsa** Motor Road (purpose for diversion of forest land) in Nainital district falls within jurisdiction of **Sirsa village in Kushyakutoli tehsil.**

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.9212 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ................to...annexure....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी

नैनीताल

11



प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT Nainital (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Nainital district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Deepak Rawat, I.A.S., deputy commissioner. Nainital on dated 25/11/14. at time ............at Nainital in which application claiming rights in ................ rang / area measuring 0.9212 hect for the Construction of **Bareilly-Almora M/Road to Sirsa** Motor Road (1.75 Km) forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Dhari sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:..Nainital

Dated:..25/11/14

Signature

(Full name and official seal of the District Collector

जिलाधिकारी

नैनीताल

प्रपत्र– 23

परियोजना का नाम– जनपद नैनीताल में प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत बरेली अल्मोडा मोटर मार्ग में सिरसा तक मोटर मार्ग का निर्माण

## जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र

जनपद नैनीताल में प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत बरेली अल्मोडा मोटर मार्ग में सिरसा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.9212 हैक्टेयर बनभूमि प्रयोक्ता एजेन्सी पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग नैनीताल को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी /अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय बन अधिकार समिति, कुश्याकुटौली तथा संबंधित ग्राम सभा द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये हैं । बन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् व संलग्न प्रमाण–पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व आदिवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है । परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली बन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है ।

जिलाधिकारी,
नैनीताल ।

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम–

कार्यालय उप जिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति.......................... परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के अन्तर्गत.......... उपखण्ड .......... परिक्षेत्र के अन्तर्गत .......... 0.1212 हे0 आरक्षित वन भूमि 0.1212 हे0 .......... वन पंचायत भूमि ...... हे0 अर्थात कुल 0.1212 हे0 वन भूमि) का सिविल एवं सोयम वनभूमि .......... प्रयोक्त एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति(तहसील.......... ) की दिनांक .......... को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री.......... उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री.......... उपजिलाधिकारी.......... अध्यक्ष
2. श्री.......... उप प्रभागीय वनाधिकारी.......... सदस्य
3. श्री.......... सहायक समाज कल्याण अधिकारी.......... सदस्य / सचिव
4. श्री.......... बी.डी.सी क्षेत्र.......... सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए माननीय उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत 0.1212 .......... हे0 वन भूमि .......... प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अर्न्तत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त वनभूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग नैनीताल द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण के उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड नैनीताल परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के अन्तर्गत..........

क्रमशः 2पर

परियोजना के निर्माण हेतु 0.9712 है0 वनभूमि प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष,
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति,
तहसील–
जनपद– नैनीताल

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष,
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति,
तहसील–
जनपद– नैनीताल।

1.6

प्रपत्र -23

योजना का नाम

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - सिरसा

तहसील नैनीताल, जिला नैनीताल।

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत ...... निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु (......हे0 आरक्षित वन भूमि, सिविल सोयम भूमि......हे0, वन पंचायत भूमि ......हे0) अर्थात कुल 0.1212 हे0 वन भूमि का ...... विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सिरसा द्वारा दिनांक 16/10/14 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागमत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सिरसा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 0.1212 हे0 प्रयोक्ता एजेंसी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह0/-

ग्राम सचिव

ह0/-

ग्राम प्रधान

नोट- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रतत्र प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

14



प्रपत्र–23.1/प्रारूप- 304

दिनांक 16/12/014 का ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत [illegible]

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित ग्राम वासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 1 | मु. हैदर [illegible] | [illegible] |
| 2 | गोपाल [illegible] | [illegible] |
| 3 | प्रताप सिंह | [illegible] |
| 4 | बालम सिंह | बालम सिंह |
| 5 | किशन आर्य | [illegible] |
| 6 | पूरन सिंह मीणा | पूरन सिंह |
| 7 | ओंकार सिंह मीणा | [illegible] |
| 8 | राजेन्द्र सिंह मीणा | [illegible] |
| 9 | धर्मसिंह | [illegible] |
| 10 | रूपसिंह मीणा | [illegible] |
| 11 | संजय सिंह मीणा | Sanjay [illegible] |
| 12 | खीम राम | खीम राम |
| 13 | मोती सिंह | मोती सिंह |
| 14 | मोहन सिंह | मोहन सिंह |
| 15 | [illegible] | [illegible] सिंह |
| 16 | महेन्द्र सिंह | महेन्द्र सिंह |
| 17 | नन्दन सिंह | नन्दन सिंह |
| 18 | सुरेश चन्द्र तिवारी | सुरेश चन्द्र |
| 19 | चिन्ता राम | चिन्ता राम |
| 20 | [illegible] राम | [illegible] |
| 21 | पन्नी राम | पनीराम |